

FSSAI/2017/8655



REGISTERED

Food Safety & Standards Authority of India

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

A Statutory Authority under FSS Act, 2006

(एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण)

Western Region, Unit No.902,9th Floor,

Hall Mark , Business Plaza,

Opposite Guru Nanak Hospital Bandra (East), Mumbai- 400051

यूनिट न० 902, नवां तल, हॉल मार्क, बिजनेस प्लाजा, गुरू नानक अस्पताल के सामने, ब्रान्द्रा (पूर्व) मुम्बई-400051

Dated/दिनांक: 17/02/2017

DSS AGRO EXPORTS

OFFICE NO. 08, GR, FLOOR, PLOT NO. 102, CORPORATE
PARK GANDHIHAM, GUJARAT ,INDIA , BHUJ(KUTCHH)
(Gujarat), 370201

Subject: Grant of License (New)

विषय: लाइसेंस (नवीन लाइसेंस) प्रदान करना

Sir,
महोदय,

Please refer to your Application ID CLS17020000178248 dated 16/02/2017 regarding grant of New license under FSS Act, 2006. The New license for the above mentioned application is granted as per the details given below:

कृपया आप एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नवीन लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में अपने आवेदन CLS17020000178248 दिनांक 16/02/2017 का संदर्भ देखें। उपर्युक्त उल्लिखित आवेदन के लिए नवीन लाइसेंस नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रदान किया जाता है:

License Number/लाइसेंस संख्या	Category of License/लाइसेंस की श्रेणी	Date of Grant/प्रदान करने की तारीख	Validity/विधिमान्यता
10017021002495	Central	17/02/2017	16/02/2019

The License is granted under and is subject to the provisions of Food Safety & Standards Act 2006, and Food Safety & Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011.

लाइसेंस खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायियों को लाइसेंस देने तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 के अधीन एवं इसके शर्ताधीन प्रदान किया जाता है।

The license should be kept in safe custody within the authorized premises and should be made available as and when required by licensing authority or their officials. A true copy of the license shall be displayed at a prominent place at all times within the authorized premises where the food business is carried out. The application for renewal of license must be made in the specified format not later than 30 days prior to the expiry of validity mentioned above, after which Rs.100 per day will be charged up to the date of expiry. After expiry a fresh online application for grant of a new license will be required.

लाइसेंस को प्राधिकृत परिसर में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस प्राधिकारी या उनके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लाइसेंस की सही प्रति को प्राधिकृत परिसर, जहां खाद्य व्यवसाय किया जाता है के अंतर्गत प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन उपर्युक्त उल्लिखित विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख से पहले 30 दिन से अधिक नहीं अवधि में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में अवश्य किया जाना चाहिए जिसके बाद समाप्ति की तारीख तक 100रू प्रति दिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। समाप्ति के बाद नए सिरे से नवीन लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत होगी।

Please note that your application had been considered on the basis of the documents submitted. The authorized premises shall be inspected for verifications of information provided and to ensure compliance with all relevant provisions of the Act and Regulations. You shall also be responsible to ensure compliance with all acts, norms, regulations etc. pertaining to fire, electricity and electrical equipment, environment etc. as stipulated by the respective state authorities.

कृपया यह नोट करें कि आपके आवेदन पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ के आधार पर विचार किया गया था। प्राधिकृत परिसरों का निरीक्षण दी गई सूचना के सत्यापन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि अधिनियम तथा विनियमों के सभी प्रासंगिक उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। आप सभी अग्नि, विद्युत तथा विद्युत उपस्कर, पर्यावरण इत्यादि जिसका निर्धारण राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया है से संबंधित सभी अधिनियमों, मानकों, विनियमों आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार होंगे।

Sheetal Gupta

Dr. Sheetal Gupta

(डॉ शीतल गुप्ता)

Central Licensing Authority

केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकारी

Food Safety & Standards Authority of India

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

Region name/क्षेत्र का नाम : Mumbai

Email Id/ईमेल आईडी : aomumbai@fssai.gov.in

Phone No/फोन नंबर : 022-26420961

Enclosure: Original License under FSS Act, 2006

अनुलग्नक:- एफ एस एस अधिनियम, 2006 के अधीन मूल लाइसेंस

(Dr. SHEETAL GUPTA)
DESIGNATED OFFICER

Food Safety & Standards Authority of India
Ministry of Health & Family Welfare,
Western Region, Mumbai - 51.